भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या – 139

सोमवार, 22 जुलाई, 2024/31 आषाढ़, 1946 (शक)

15वां वित्त आयोग

139. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

श्री प्रवीण पटेल:

श्री नरेश गणपत म्हस्के:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रत्येक राज्य को दिए जाने वाले कुल अनुदान का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने राज्यों को ये सभी अनुदान संवितरित कर दिए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यह कब तक संवितरित कर दिया जाता है;

(घ) क्या राज्य सरकारों ने विकास परियोजनाओं के निधियन के लिए और अधिक केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार राजस्व हानि से उबरने के लिए राज्यों की किस प्रकार सहायता करने की योजना बना रही है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): 15वें वित्त आयोग (15वें एफसी) की अंतिम रिपोर्ट, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, के अनुसार 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक की अधिनिर्णय अवधि के लिए आयोग द्वारा अनुसंशित क्षेत्र-वार और राज्य-वार कुल सहायता अनुदान का ब्यौरा अनुबंध-। में दिया गया है।

(ख) और (ग): सहायता अनुदान का संवितरण 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित क्रियाविधि और समयसीमा के अनुसार किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को 1 अप्रैल, 2021 से आगे क्षेत्र-वार और राज्य-वार संवितरित कुल सहायता अनुदान का ब्यौरा अनुबंध-। में दिया गया है।

15वें वित्त आयोग ने वर्ष-वार सहायता अनुदान का आवंटन किया है और उनका भुगतान, संबंधित नोडल मंत्रालयों से प्राप्त सिफारिशों सहित निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन है। राज्य 15वें वित्त आयोग के अधिनिर्णय अवधि के भीतर ये सहायता अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल संबंधित

मंत्रालय द्वारा अनुसंशित इन सहायता अनुदानों को जारी किए जाने का कोई अनुरोध भुगतान के लिए लंबित नहीं है।

(घ) और (ङ): प्रत्येक राज्य के अनुमानित राजस्व और व्यय का मूल्यांकन करने के पश्चात 15वें वित्त आयोग ने राजस्व लेखा में अनुमानित घाटे सहित राज्यों को अंतरण पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की है जो अधिनिर्णय अवधि 2021-26 के लिए कुल 2,94,514 करोड़ रुपए बनता है। इसमें से 2,64,488 करोड़ रुपए की राशि (15.07.2024 के अनुसार) पात्र राज्यों को पहले ही संवितरित कर दी गई है। 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुसंशित सहायता अनुदान के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई एटीआर के अनुसार और अधिक केन्द्रीय सहायता की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि वितरित की जाने वाली क्षेत्र-वार और राज्य-वार सहायता अनुदान का निर्धारण, गंभीर आपदा के मामले में सहायता के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की निर्मुक्ति को छोड़कर, किया जाता है।

******

अनुबंध-I

दिनांक 22.07.2024 को पूछे गए लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 139 के उत्तर के भाग (क) एवं (ख) का अनुबंध

15वें वित्त आयोग द्वारा अनुसंशित और दिनांक 15-7-2024 तक संवितरित की गई सहायता अनुदान का क्षेत्र-वार और राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रू. में)

क्रम सं.	राज्य	अंतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान		कुल स्थानीय निकाय अनुदान		आपदा प्रबंधन अनुदान*		कुल सहायता अनुदान	
		15वें वि.आ. का आबंटन	जारी	15वें वि.आ. का आबंटन	जारी	15वें वि.आ. का आबंटन	जारी	15वें वि.आ. का आबंटन	जारी
1	आंध्र प्रदेश	30497	30497	18063	10263	6183	3398	54743	44158
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	1618	190	1382	681	3000	871
3	असम	14184	14184	10934	5422	4268	2514	29386	22120
4	बिहार	0	0	35577	17165	7824	6002	43401	23167
5	छत्तीसगढ़	0	0	10368	5037	2387	886	12755	5923
6	गोवा	0	0	609	151	63	34	672	185
7	गुजरात	0	0	22163	11544	7316	4298	29479	15842
8	हरियाणा	132	132	9066	3567	2715	1617	11913	5316
9	हिमाचल प्रदेश	37199	29770	3049	1490	2258	2503	42506	33763
10	झारखंड	0	0	12322	5540	3138	1245	15460	6785
11	कर्नाटक	1631	1631	21877	10051	4369	8170	27877	19852
12	केरल	37814	37814	12554	6029	1738	991	52106	44834
13	मध्य प्रदेश	0	0	28367	13884	10059	6981	38426	20865
14	महाराष्ट्र	0	0	41391	17123	17803	10503	59194	27626
15	मणिपुर	9796	7505	1277	151	234	108	11307	7764
16	मेघालय	3137	3064	1385	267	363	192	4885	3523
17	मिजोरम	6544	5239	713	223	259	170	7516	5632
18	नगालैंड	21249	14890	1038	264	228	257	22515	15411
19	ओडिशा	0	0	15752	9051	8865	6487	24617	15538
20	पंजाब	25968	24638	10305	4701	2736	1765	39009	31104
21	राजस्थान	14740	14740	27172	14839	8186	5370	50098	34949
22	सिक्किम	1267	1267	360	151	279	550	1906	1968
23	तमिलनाडु	2204	2204	25526	16419	5637	3833	33367	22456
24	तेलंगाना	0	0	13111	7226	2483	1176	15594	8402
25	त्रिपुरा	19890	14406	1580	845	378	211	21848	15462
26	उत्तर प्रदेश	0	0	67160	34544	10685	5415	77845	39959
27	उत्तराखंड	28147	22771	4181	1890	5178	2954	37506	27615
28	पश्चिम बंगाल	40115	39736	30393	15335	5587	3538	76095	58609
x	कुल	**294514**	**264488**	**427911**	**213361**	**122601**	**81848**	**845026**	**559698**

नोट:-1:- इसके अतिरिक्त, राज्य, राष्ट्रीय डाटा केंद्र के लिए चिन्हित 450 करोड़ रू. तथा नए शहरों के इनक्यूबेशन के लिए चिन्हित 8000 करोड़ रू. से 15 वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत किए गए अनुदान का लाभ उठा सकते हैं।

नोट:-2: कुल स्थानीय निकाय अनुदान में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय अनुदान और स्थानीय सरकारों के माध्यम से स्वास्थय अनुदान शामिल है।

**नोट:-3:- आपदा प्रबंधन अनुदान के लिए आबंटन, राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (एसडीआरएमएफ)के केंद्र के हिस्से के बराबर है। आपदा प्रबंधन के लिए जारी अनुदान मे एसडीआरएमएफ का केंद्र का हिस्सा और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से अतिरिक्त केंद्रीय सहायता शामिल है।*

नोट:-4:- आंकडे पूर्णांकित किए गए हैं।

*****